GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBA No. 79/2020

No. 2020/AC-II/21/7

New Delhi, dated 12.10.2020

General Managers/PFAs,
All Indian Railways & PUs etc.

CORRINGENDUM

Sub: Accountal of NPS Accumulation on Mobility of personnel amongst Central/State and Autonomous Bodies while working under Pensionable establishment

Ref: Board's letter No. of even no. dated 18.09.2020 (RBA No. 76/2020)

~~~~~~~~

Please refer to Board's letter ibid. In this regard, it is clarified that accounting procedures referred to therein would be applicable for cases covered under the following letters:

| S.No. | FE Dte's letter no. and date | DOP&PW's letter and date | Subject |
|---|---|---|---|
| 1. | F(E)III/2005/PN1/35 dated 19.08.2020 | DOP&PW's OM No. 28/30/2004-P&PW(B) dated 11.06.2020 | Mobility of personnel amongst Central /State & Autonomous Bodies while working under Pensionable establishments – regarding. |
| 2. | D-43/12/2018 dated 03.03.2020. | DOP&PW's OM No. 57/04/2019-P&PW(B) dated 17.02.2020 | Coverage under Central Civil Services (Pension) Rules 1972, in place of National Pension System, of those Central Government employees whose selection for appointment was finalized before 01.01.2004 but who joined Government service on or after 01.01.2004 |

Kindly acknowledge receipt.

**(Sanjeev Sharma)**
**Director Finance/Accounts**
**Railway Board**

NPS latest 1213
~~~~~~~~

भारत सरकार/Government Of India

रेल मंत्रालय/Ministry of Railways

(रेलवे बोर्ड/Railway Board)

आरबीए सं. 79/2020

सं. 2020/एसी-II/21/7 नई दिल्ली, दिनांक 12.10.2020

महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार,

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।

शुद्धि पत्र

विषय : पेंशनीय स्थापनाओं के अधीन काम करते हुए केंद्रीय/राज्य और स्वायत्त निकायों के बीच कर्मियों की गतिशीलता पर एनपीएस संचयन का लेखा-जोखा।

संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 10.09.2020 का समसंख्यक पत्र (आरबीए सं. 76/2020)

कृपय बोर्ड के पूर्वोक्त पत्र का अवलोकन करें। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें संदर्भित लेखा प्रक्रियाएं निम्नलिखित पत्रों में कवर किए गए मामलों में लागू होंगी :

क्र.सं.	एफई निदेशालय का पत्र सं. एवं तारीख	पेंशन एवं पेंशनभोगी के कल्याण विभाग का पत्र एवं तारीख	विषय
1.	एफ(ई)III/2005/पीएनI/35 दिनांक 19.08.2020	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दिनांक 11.06.2020 का का.ज्ञा. सं. 28/30/2004-पी एंड पीडब्ल्यू(बी)	पेंशनीय स्थापनाओं के तहत काम करते हुए केंद्रीय/राज्य और स्वायत्त निकायों के बीच कर्मियों की गतिशीलता के संबंध में ।
2.	डी-43/12/2018 दिनांक 03.03.2020	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दिनांक 17.02.2020 का का.ज्ञा. सं. 57/04/2019-पी एंड पीडब्ल्यू(बी)	केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति के लिए चयन को

			01.01.2004 से पहले अंतिम रूप दिया गया था परंतु उन्होंने सरकारी सेवा में 01.01.2004 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण किया था, के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के अंतर्गत शामिल किया गया।

कृपया पावती दें।

हस्ता.

(संजीव शर्मा)

निदेशक वित्त/लेखा

रेलवे बोर्ड